20-21 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल :

मज़दूर आन्दोलन में एक नई करवट

देश की सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने केन्द्र व राज्य सरकारों की घोर मज़दूर विरोधी नीतियों के खिलाफ़ 20-21 फरवरी को देश व्यापी हड़ताल का आयोजन किया। यह एक स्वागत योग्य कदम है। सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियों का व्यापक एकता का प्रदर्शन करते हुए सभी ट्रेड यूनियनों का एक मंच पर आना वक्त की जरूरत है। आज मज़दूरों की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। मज़दूर वर्ग के ज्यादातर लोग ठेकेदारी प्रथा के तहत बिना किन्हीं कानूनी अधिकारों के किसी तरह जिंदा रहने भर का वेतन पा रहे हैं। जो न्यूनतम वेतन हरियाणा व अन्य राज्य सरकारों ने घोषित किया है उसमें एक परिवार का पालन-पोषण तो दूर दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। मजबूरन मज़दूरों के परिवार में बच्चे तक काम करने के लिये मजबूर होते हैं। श्रम कानूनों का तो बहुत से मज़दूर नाम भी नहीं जानते। मशीनों पर काम करते वक्त अंग भंग हो जाने पर मज़दूरों को भीख मांगने के लिये सड़कों पर धकेल दिया जाता है। करखानेदार मज़दूरों से बिना किन्हीं सुरक्षा उपकरणों के खतरनाक जगहों पर काम कराते हैं, जहां अंग-भंग होना या जान चली जाना आम बात है। घायल होने पर न तो समुचित मुआवजा मिलता है और न जान जाने पर। सालों-साल उच्च तकनीक की मशीनों पर काम करते हुए भी मज़दूरों को परमानेन्ट नहीं किया जाता है। जब मज़दूर इकट्ठा होकर संगठन या यूनियन बनाने की तरफ बढ़ते हैं तो ठेकेदार के गुंडे, बाउंसर, पुलिस सभी उनके ऊपर दुश्मनों की तरह टूट पड़ते हैं। श्रम विभाग तो पूरी तरह बेशर्म होकर पूंजीपतियों का एजेन्ट बनकर रह गया है। ऐसे में मज़दूरों की जिंदगी पूरी तरह पशुओं की तरह बनकर रह गयी है।

जो थोड़े बहुत मज़दूर संगठित अथवा यूनियनीकृत हैं भी तो उनको मिलने वाली सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। श्रम अधिकारों में कटौती कर सरकार ने वास्तव में श्रम विभाग को भी प्रभावहीन बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

स्थायी मज़दूरो की भर्ती पर अघोषित रोक लगी है इसलिये इन यूनियनों में मज़दूरों की संख्या लगातार घट रही है। आज संगठित यूनियनीकृत मज़दूर अपने छिनते अधिकारों को चुपचाप देखते जा रहे हैं। कोई भी आंदोलन की हिम्मत करने का फैसला सीधे नौकरी को दांव पर लगाना हो चुका है।

जहां नए उद्योग लग रहे है वहां ज्यादातर मज़दूर ठेकेदारी के तहत नियोजित किये जा रहे हैं। मज़दूर जहां भी यूनियन बनाकर संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं वहीं दमन शुरू हो जाता है। मारूति सुजुकी मानेसर से लेकर सत्यम राकमैन (हरिद्वार) लखानी (फ़रीदाबाद) हर जगह मज़दूरों को दमन उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं मिला है।

अब सरकार ने अपनी मज़दूर विरोधी नीतियों-निजीकरण-उदारीकरण वैश्वीकरण को और तेजी से आगे बढ़ाया है। बैंक से लेकर बीमा तक का निजीकरण कर सरकार इन्हें प्राईवेट हाथों-यानी पूजीपतियों को सौंप रही है। ऐसे में सरकारी मज़दूरों अथवा कर्मचारियों की नौकरियां व सुविधायें जहां दाव पर लगी है वहीं देश के करोड़ों लोग जो बैंक-बीमा में धन जमा करते हैं उनकी जीवन भर की कमाई मुनाफे की हवस में डूबे पूजीपतियों व सटोरियों को मनमाफिक खेल खेलने के लिये सौंपी जा रही है। इस तरह देश, देशी-विदेशी पूजिपतियों व सटोरियों की गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। इस से सबसे ज़्यादा प्रभावित मज़दूर-मेहनतकश जनता होगी। जिनकी जीवन भर की कमाई कभी भी सट्टाबाजार में उड़नछू हो जाएगी। और वे सड़क पर भूखों मरने को छोड़ दिए जायेंगे।

मज़दूर वर्ग की सबसे बड़ी आबादी असंगठित मज़दूर तो आज भी 'श्रम कानूनों' के दायरे में नहीं आते। दिहाड़ी मज़दूर, खेत मज़दूर भवन निर्माण में लगे मज़दूर, आंगनवाड़ी, भोजन माताये, आशा बहनें, निविदा पर सरकारी विभागों में लगे मज़दूर आज भी श्रम कानूनों व सुविधाओं से आंशिक या पूरी तरह वंचित हैं।

एक तरह से मज़दूर आज फिर उन्हीं कार्यपरिस्थितियों व अधिकार बिहीनता की स्थिति में पहुंचाये जा रहे हैं जहां वे सौ-डेढ सौ साल पहले थे। मजदूरों की पिछली पीढियों ने पूंजी के खिलाफ़ शानदार संघर्ष किए थे, कुर्बानियां दी थी

रोजी-रोटी की जगह लाठी गोली

जिसके बदौलत सरकार को मज़दूरों को कुछ श्रम अधिकार व सुविधायें देनी पड़ी थी। लेकिन एक एक कर इन अधिकारों को गंवाकर मज़दूर आज पूरी तरह अधिकार विहीनता की स्थिति में पहुंच गये हैं। आखिर यह स्थिति आई क्यों?

ऐसा इसलिये कि देश के शासक पूंजीपतिवर्ग ने मज़दूर आन्दोलन को तोड़ने के लिये हर तरह के हथकंडे अपनाए। उसने मज़दूर यूनियनों के भीतर अपने एजेन्ट तैयार किये। मज़दूर आन्दोलन को कई ट्रेड यूनियनों ने तोड़ा। कहीं-कहीं तो पूजीपतियों व मैनेजरों ने मिलकर अपनी जेबी यूनियनें खड़ी कर दी। मज़दूर आन्दोलन में हड़ताल तोड़को को पाला पोषा। शासक वर्ग की सभी पार्टियों ने मज़दूरों को अपने-अपने खेमें में विभाजित किया। मज़दूरों को सबसे आगे बढ़े हिस्से को ज़्यादा तनख्वाह व वेतन भत्ते बोनस, सुविधायें, विदेशी दौरे व सरकारी समितियों में शामिल कर उन्हें बाकी मज़दूरों से काट दिया। मज़दूर वर्ग में पूंजीपतियों व सरकार के दलालों ने मज़दूरों को सिखाया कि सिर्फ अपनी कंपनी अपनी फैक्टरी व अपने वेतन के बारे में सोचो। उन्होंने मज़दूर वर्ग की एक परिवार की चेतना की जगह हमारी कंपनी एक परिवार की चेतना को बढ़ावा दिया। मज़दूर वर्ग को उसके क्रांतिकारी विचारधारा व विरासत, विरत कर शासक वर्ग के नेताओं का पिछलग्गू बना दिया। कुल मिलाकर मज़दूर वर्ग के भीतर दलाल नेताओं को पैदा करने के साथ मज़दूर वर्ग के भीतर एक ऐसा सुविधा संपन्न तबका पैदा कर दिया जिसे अपने को मज़दूर कहने में शर्म आने लगी। वह मांनसिक तौर पर पूंजीपतियों व शासक वर्ग का गुलाम हो गया।

इसके साथ मज़दूरों के भीतर स्थाई कैजुअल व ठेकेदारी मज़दूरों का विभाजन कर एक फैक्टरी के भीतर भी मज़दूरों को बांट डाला। स्थायी मज़दूरों की स्थिति यह हो गई कि वे ठेकेदारी मज़दूरों को लेबर कहने लगे, अपने को उनसे श्रेष्ठ समझने लगे, केवल अपने अधिकारों की ही चिंता करने लगे। ठेका मज़दूरों को तो वे यूनियन का हिस्सा बनाने में भी हिचकने लगे।

रही सही कसर पूंजीवादी पार्टियों व जाति-संप्रदाय के संगठनों ने पूरी कर दी। इन्होंने भी मज़दूरों को अपनी जाति, धर्म के आधार पर बांट डाला। सरकार व मज़दूर आंदोलन में बैठे दलाल नेताओं ने मज़दूरों को जहां केवल अपनी फैक्टरी व सुविधाओं के बारे में सोचना सिखाया वहीं इन्होंने मज़दूरों को बताया कि कानून ही सब कुछ है। जमीनी आंदोलनों की जगह श्रम न्यायालय व कोर्ट कचहरियों तक इन्होंने मज़दूरों की लड़ाई को सीमित कर दिया। लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है, यह अब तक की कहानी है। लेकिन तस्वीर बदल भी रही है। मज़दूर वर्ग को लंबे समय तक गुमराह नहीं किया जा सकता। मज़दूर आज एक बार फिर संघर्ष की ओर मुड़ रहे हैं। मज़दूर वर्ग की एकता एक बार फिर जोर पकर रही है। पूजीपतियों व सरकार की नींदे मज़दूर आंदोलन के इस बढ़ते उभार से हराम है। देश के कोने-कोने में मज़दूर वर्ग के जुझारू संघर्ष फूट रहे हैं। दलाल नेताओं व यूनियनों से अपना पिंड छुड़ाकर मज़दूर अपनी स्वतंत्र यूनियनें खड़ी कर रहे हैं।

विगत समय में मारूति सुजुकी मानेसर गुड़गांव से लेकर हुंडई (मद्रास) व बंगाल के जूट मज़दूरों विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के मज़दूरों ने अपनी जुझारू एकता का प्रदर्शन कर सरकार व प्रशासन का लोहे के चने चबाने को मजबूर कर दिया। मारूति सुजुकी के मज़दूरों ने स्थायी ठेका ट्रेनी सहित सभी मज़दूरों की जुझारू एकता का एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। मज़दूर वर्ग के देश भर में होने वाले बिखरे व छिटपुट संघर्षों का ही परिणाम है कि केन्द्रीय हेड यूनियनें राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आवाहन किया है

आज सरकार व पूंजीपति वर्ग मज़दूरों पर चौतरफा हमला कर रहा है। दिहाड़ी, ठेका मज़दूर से लेकर सरकारी कर्मचारी सभी पूंजीपति वर्ग व सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं। प्रतिरोध की आवाजों को भयंकर दमन के बल पर कुचला जा रहा है। ऐसे में मज़दूर वर्ग को एकजुट होकर पूजीपति वर्ग को चुनौती देनी ही होगी। इस देश के 25 करोड़ से अधिक मज़दूर व 45 करोड़ मेहनतकश अगर जागृत हो जायें तो पूंजीपति वर्ग को निश्चित तौर पर पीछे हटना पड़ेगा। मज़दूर वर्ग को उसे, सत्ता की चुनौती देनी ही होगी। पूजी के राज को समाप्त कर, मज़दूर मालिक के रिश्तों का खात्मा करके, मज़दूर राज (समाजवाद) की स्थापना कर मज़दूरों की मुक्ति संभव है।

-नागेन्द्र मनराल

स्थाईकरण मांगोगे तो शोवा में मज़दूर नहीं रह पाओगे

फरीदाबाद, सेक्टर 58 प्लाट नं. 23-32 स्थित शोवा इंडिया प्रा.लि. के मज़दूर स्थायीकरण, वेतनवृद्धि व अन्य श्रमिक अधिकारों के लिये संघर्षरत हैं। मज़दूरों द्वारा कंपनी के भीतर संगठित होने की भनक लगने के साथ प्रबंधन उत्पीड़न पर उतर आया। 5 फरवरी को कंपनी में 3 जिप्सी पुलिस व बाउंसर मंगाकर प्रबंधन ने दो नेतृत्वकारी मज़दूरों विरजन बघेल व सुरेश कुमार को ठेकेदार मनोज शर्मा द्वारा बुलाकर इस्तीफ़ा लिखने को कहा। इस मामले की भनक जैसे ही बाकी मज़दूरों को लगी वे सभी इकट्ठा हो गये और इसका विरोध किया। मज़दूर फैक्टरी के अंदर ही धरने पर बैठ गए इस पर ठेकेदार ने सभी मज़दूरों से इस्तीफ़ा देने को कहा। तथा कंपनी से बाहर निकलने के लिये दबाव डाला। मज़दूरों के प्रतिरोध करने पर पुलिस ने बलपूर्वक मज़दूरों को कंपनी से 100 मीटर दूर बैठने को कहा। मज़दूर इसके बावजूद गेट के सामने बैठकर अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। फिलहाल कंपनी ने मज़दूरों को फैक्टरी के बाहर 100 मीटर के दायरे से बाहर रखने के लिये स्टे के लिये आवेदन किया था जो 12 फरवरी को खारिज हो गया।

शोवा जापानी मूल की कंपनी है। यह कंपनी चौपहिया वाहनों के लिये स्टीयरिंग तथा दुपहिया वाहनों के शॉकर बनाती है। कंपनी में तीन लाइनों के अंतर्गत सभी काम प्रबंधकों व सुपरवाईजरों के अधीन होता है लेकिन तनख्वाह बांटने का काम दो ठेकेदारों के माध्यम से होता है।

ज्यादातर मज़दूर हाईस्कूल व आई टी. आई. पास हैं कुछ मज़दूर डिप्लोमाधारी भी हैं। ज्यादातर मज़दूरों को काम करते हुए 5-6 साल से ऊपर हो गया है लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। मज़दूरों का ई.पी. एफ. कटता है लेकिन उसकी रसीद नहीं दी जाती और नंबर तक नहीं बताया जाता है। कुशल व शिक्षित प्रशिक्षित मज़दूर होने के बावजूद इन मज़दूरों की तनखाह 5 हज़ार से साढ़े सात

शोवा कंपनी के मज़दूर स्थायीकरण, श्रम अधिकारों, निकाले मज़दूरों की वापसी व महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि के लिये संघर्षरत हैं। अभी तक श्रम विभाग के अधिकारियों ने इनकी सुध नहीं ली है। प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर 12 तारीख को एक विपक्षीय वार्ता की बात कही थी जो कि नहीं हो पायी क्योंकि इसी दिन मज़दूरों को कोर्ट में मालिक द्वारा दायर स्टे आवेदन के संबंध में अपना पक्ष रखना था।

हज़ार के बीच है। ओवर टाईम के मामले में कंपनी जालसाजी की हद कर देती है। मज़दूरों को ओवर टाईम सिंगल रेट से दिया जाता है लेकिन दिखाया डबल रेट से है। इसके लिये 100 घंटे ओवर टाईम कराने पर उसे 50 घंटे दिखाकर दुगुनी दर से भुगतान का दिखावा किया जाता है। कंपनी में अभी तक एक भी मज़दूर स्थायी नहीं है। सभी मज़दूर ठेकेदार मनोज शर्मा व मुकेश कौशिक के आदमी दर्शाये जाते हैं। कंपनी में अभी 150 मज़दूर लगभग काम करते हैं। दिसम्बर 2011 में कंपनी ने 250 मज़दूरों की छंटनी कर दी। इन मज़दूरों से कहा गया था कि दो पहिया (टू व्हीलर) का प्लांट लगाने पर उन्हें वापस बुला लिया जायेगा लेकिन टू व्हीलर प्लांट लगने पर नए मज़दूरों की भर्ती की गयी। पुराने मजदूरों को वापस नहीं बुलाया गया। 2011 में मंदी के दौरान मज़दूरों को 20 से 30 दिनों के लिए घर भेज दिया गया उन्हें इस दौरान का कोई वेतन नहीं दिया गया जबकि स्टाफ़ को इस दौरान पूरा वेतन दिया गया। मज़दूरों को वापस बुलवाने कें बाद उनसे इंटे पत्थड़ व रोड़े ढुलवाये गए, इससे मज़दूर खुद काम छोड़कर चले गये।

मज़दूरों के अनुसार इस कंपनी में मैनेजरों व सुपरवाइजरों का मज़दूरों के साथ व्यवहार अत्यंत क्रूर व अमानवीय रहता है। कंपनी प्रबंधन ने छः वर्ष से कंपनी में कार्यरत विजय कुमार को धक्के मारकर निकाल दिया। सुपरवाईजर विनीत त्यागी मज़दूरों से गाली गलौज करता है तथा उसने एक बार एक बुजुर्ग मज़दूर राजकुमार को चप्पल फेंककर मारी।

शोवा कंपनी के मज़दूर स्थायीकरण, श्रम अधिकारों, निकाले मज़दूरों की वापसी व महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि के लिये संघर्षरत हैं। अभी तक श्रम विभाग के अधिकारियों ने इनकी सुध नहीं ली है। प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर 12 तारीख को एक विपक्षीय वार्ता की बात कही थी जो कि नहीं हो पायी क्योंकि इसी दिन मज़दूरों को कोर्ट में मालिक द्वारा दायर स्टे आवेदन के संबंध में अपना पक्ष रखना था। 13 फरवरी को फिर वार्ता रखी गयी है। फिलहाल मज़दूर संघर्ष में डटे हैं उनका कहना है कि अगर शीघ्र उनकी मांगों का हल नहीं निकाला गया तो वे उग्र कदम उठाने को बाध्य होंगे।

-नागेन्द्र मनराल